**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2357**

**सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)**

**आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कंपनियां**

**2357. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः**
**श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः**
**श्री तेजस्वी सूर्याः**
**श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः**
**श्री प्रताप सिम्हाः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत कंपनियों से राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) एबीआरवाई से अब तक राज्य-वार कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं तथा सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा आपात स्थिति, सेवानिवृत्ति और सामान्य निकासी के मामले में श्रमिकों को पीएफ राशि के त्वरित संवितरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) आवेदन करने की तिथि से श्रमिकों के आवेदनों को संसाधित करने में औसत कितना समय लगता है और क्या संसाधित करने की गति में तेजी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) और (ख): दिनांक 04.12.2021 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार लाभार्थी प्रतिष्ठान और कर्मचारी और संवितरित राशि अनुबंध पर दी गई है।

(ग): कामगारों को पीएफ राशि के त्वरित वितरण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जनवरी, 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के दावों के स्वत: निपटान की शुरुआत की गई थी।

ii) महामारी, बाढ़, भूकंप आदि जैसी किसी भी आपदा के समय जब ऐसे आपदा प्रभावित कार्यालयों में दावों को संसाधित करना संभव नहीं हो सकता है, ईपीएफ सदस्यों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ में मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की गई थी।. इस व्यवस्था ने ईपीएफ सदस्यों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में मदद की है और ईपीएफओ के कार्यालयों को आपदा रोधी बनाने में भी मदद की है।

(घ): दावा निपटान की प्रक्रिया में लिया गया वर्ष-वार औसत समय इस प्रकार है:-

| वित्तीय वर्ष | दावा संसाधित करने में लगने वाला औसत समय (दिनों में) |
|---|---|
| 2019-20 | 11.5 दिन |
| 2020-21 | 8.4 दिन |
| 2021-22 (06.12.2021 को) | 7.3 दिन |

जैसा कि ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दावों के निपटान की गति में वृद्धि हुई है।

*****

**अनुबंध**

**लोक सभा के दिनांक 13.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रतिष्ठानों), कर्मचारियों एवं लाभ राशि राज्य-वार सूची (04.12.2021 तक) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य | प्रतिष्ठान | नए कर्मचारी | लाभ राशि (रुपये में) |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 32 | 368 | 39,77,396 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3,025 | 1,07,324 | 77,51,87,953 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 9 | 59 | 3,80,640 |
| 4 | असम | 436 | 11,873 | 7,14,09,916 |
| 5 | बिहार | 902 | 17,616 | 15,74,59,757 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1,268 | 43,618 | 29,42,33,850 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2,286 | 55,733 | 40,76,13,436 |
| 8 | दिल्ली | 2,443 | 1,47,520 | 87,18,86,213 |
| 9 | गोवा | 437 | 14,427 | 9,27,41,595 |
| 10 | गुजरात | 12,379 | 4,44,741 | 2,78,63,52,624 |
| 11 | हरियाणा | 5,974 | 2,57,728 | 1,67,79,95,256 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 1,700 | 56,681 | 37,60,28,799 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 681 | 12,895 | 10,49,62,007 |
| 14 | झारखंड | 1,649 | 41,587 | 31,46,95,599 |
| 15 | कर्नाटक | 8,024 | 3,07,164 | 2,21,63,55,794 |
| 16 | केरल | 2,034 | 60,521 | 45,94,47,215 |
| 17 | लद्दाख | 12 | 163 | 8,96,149 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 4,760 | 1,38,512 | 1,03,57,85,589 |
| 19 | महाराष्ट्र | 17,524 | 6,49,560 | 4,09,72,34,366 |
| 20 | मणिपुरी | 38 | 765 | 53,73,983 |
| 21 | मेघालय | 31 | 966 | 1,47,23,933 |
| 22 | मिजोरम | 12 | 292 | 41,97,954 |
| 23 | नागालैंड | 7 | 43 | 4,38,698 |
| 24 | ओडिशा | 3,182 | 59,485 | 46,17,12,892 |
| 25 | पंजाब | 5,249 | 1,19,577 | 91,21,26,945 |
| 26 | राजस्थान | 8,725 | 2,19,079 | 1,41,91,17,573 |
| 27 | सिक्किम | 95 | 2,747 | 2,42,67,287 |
| 28 | तमिलनाडु | 12,803 | 5,35,615 | 3,00,46,76,607 |
| 29 | तेलंगाना | 4,097 | 1,85,051 | 1,03,56,10,742 |
| 30 | त्रिपुरा | 130 | 3,091 | 2,90,18,051 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 9,548 | 2,75,180 | 2,13,28,53,265 |
| 32 | उत्तराखंड | 1,931 | 63,444 | 44,15,82,808 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 5,593 | 1,39,126 | 89,06,99,250 |
| | कुल योग | **1,17,016** | **39,72,551** | **26,12,10,44,142** |

**स्रोत: ईपीएफओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय।**